



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012022-232318
CG-DL-E-01012022-232318

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5071]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 30, 2021/पौष 9, 1943

No. 5071]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 2021/PAUSHA 9, 1943

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5477(अ).—राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम(एनडीडीवी), 1987 (1987 का 37) की धारा 9 के साथ पठित धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा संयुक्त सचिव (डेयरी विकास), पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली के स्थान पर का.आ.1165(अ) दिनांक 10.03.2021 में पहले से ही विनिर्दिष्ट कार्यकाल के लिए अपर सचिव (डेयरी विकास), पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को नामित करती है तथा इस प्रयोजन हेतु वह भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 3258(अ) दिनांक 11 अगस्त, 2021 में संशोधन करती है।

[मि.सं. एम-03017/1/2020-प्रशा०-4-भाग(1)]

दीपक सेठी, अवर सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 4.03.1994 की अधिसूचना का. आ. सं. 210 (अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् का. आ. सं. 1-32 (अ) दिनांक 11.3.95, का. आ. सं. 532 (अ) दिनांक 6.6.95, का. आ. सं. 166(अ) दिनांक 3.3.96, का. आ. सं. 386(अ) दिनांक 3.6.96, का. आ. सं. 605(अ) दिनांक 2.9.96, का. आ. सं. 678(अ) दिनांक 1.8.96, का. आ. सं. 750(अ) दिनांक 13.10.97, का. आ. सं. 836(अ) दिनांक 18.12.97 का. आ. सं. 738(अ) दिनांक 28.8.98, का. आ. सं. 1000(अ) दिनांक 26.11.98, का. आ. सं. 156(अ) दिनांक 10.3.99, का.आ. सं. 755(अ) दिनांक 18.8.2000, का. आ. सं. 351(अ) दिनांक 25.4.2001, का. आ. सं. 656(अ) दिनांक 21.6.2002, का. आ. सं. 1077(अ) दिनांक 16.9.2003, का. आ. सं. 212(अ) दिनांक 16.2.2005, का. आ. सं. 826(अ) दिनांक 29.5.2006, का. आ. सं. 461(अ) दिनांक 29.3.2007, का. आ. सं. 1738(अ) दिनांक

10/11.1.;2007, का.आ. सं. 1503(अ) दिनांक 17.6.2008, का. आ. सं. 2658(अ) दिनांक 10.11.2008, का. आ. सं. 1274(अ) दिनांक 19.5.2009, का. आ. सं. . 2575 (अ) दिनांक 9.10.2009, का. आ. सं. 1233(अ) दिनांक 26.5.2010, का. आ. सं. 168(अ) दिनांक 24.1.2011, का. आ. सं. 1779(अ) दिनांक 27.7.2011, का. आ. सं. . 97(अ) दिनांक 14.12.2011, का. आ. सं. 98(अ) दिनांक 22.12.2011, का. आ. सं. 241(अ) दिनांक 8.2.2012, का. आ. सं. 992(अ) दिनांक 27.4.2012, का. आ. सं. 1141(अ) दिनांक 26.4.2013, का. आ. सं. 1697(अ) दिनांक 13.6.2013, का. आ. सं. 1341(अ) दिनांक 15.4.2014, का. आ. सं. 1451(अ) दिनांक 3.6.2014, का. आ. सं. 3076(अ) दिनांक 3.12.2014, का. आ. सं. 721(अ) दिनांक 05.3.2015, का. आ. सं. 722(अ) दिनांक 05.3.2015, का.आ. सं. 3132(अ) दिनांक 9.10.2015, का.आ. सं. 1076(अ) दिनांक 12मार्च, 2016, का.आ.सं.1674(अ) दिनांक 03.05.2016, का.आ.सं.684(अ)दिनांक28.02.2017का.आ.सं.1869(अ) दिनांक 09.06.2017, का. आ. 3774(अ), दिनांक 27.11.2017, का. आ. 1393(अ), दिनांक 27.03.2018, का.आ.5344(अ), दिनांक 12.10.2018, का. आ. 1043(अ), दिनांक 22.02.2019, का.आ.1860(अ), दिनांक 27 मई, 2019, का. आ. 2099(अ), दिनांक 19 जून, 2019, का.आ.4352(अ),दिनांक 04 दिसंबर, 2019, का. आ. 1451(अ),दिनांक 08मई, 2020 और का. आ. 1165(अ), दिनांक 10 मार्च, 2021, का.आ.2673 (अ), दिनांक 02 जुलाई, 2021तथाका.आ. 3258 (अ) दिनांक 11 अगस्त, 2021 के द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2021

S.O. 5477(E).—In exercise of powers conferred by Sub-Section (2) of Section 8 read with Section 9 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987), the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying S.O.No.3258(E) dated 11th, Aug, 2021, by replacing the nomination of Joint Secretary (Dairy Development), Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India Krishi Bhavan, New Delhi by Additional Secretary (Dairy Development), Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India Krishi Bhavan, New Delhi, for the tenure as already specified in S.O. No. 1165(E) dated 10.03.2021.

[F.No. M-03017/1/2020-Admin-4-Part(1)]

DEEPAK SETHI, Under Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, vide S.O. No.210(E) dated 4-3-1994 and subsequently amended vide S.O.1-32(E) dated 11-3-1995, S.O.532(E) dated 6-6-1995, S.O.166(E) dated 3-3-1996, S.O.386(E) dated 3-6-1996, S.O.605(E) dated 2-9-1996, S.O.678(E) dated 1-8-1996, S.O.750(E) dated 13-10-1997, S.O.836(E) dated 18-12-1997, S.O.738(E) dated 28-8-1998, S.O.1000(E) dated 26-11-1998, S.O.156(E) dated 10-3-1999, S.O. 755(E) dated 18-8-2000, S.O.351(E) dated 25-4-2001, S.O. 656(E) dated 21-6-2002, S.O.1077(E) dated 16-9-2003, S.O. 212(E) dated 16-2-2005, S.O. 826(E) dated 29-5-2006, S.O. 461(E) dated 29-3-2007, S.O. 1738(E) dated 10/11-10-2007, S.O. 1503(E) dated 17-6-2008, S.O. 2658(E) dated 10-11-2008, S.O. 1274(E) dated 19-5-2009, S.O. 2575(E) dated 9-10-2009, S.O. 1233(E) dated 26-5-2010, S.O. 168(E) dated 24-1-2011, S.O. 1779(E) dated 27-7-2011, S.O. 97(E) dated 14.12.2011, S.O. 98(E) dated 22.12.2011, S.O. 241(E) dated 8-2-2012, S.O. 992(E) dated 27-4-2012, S.O. 1141(E) dated 26-4-2013 and S.O. 1697(E) dated 13-6-2013, S.O.1341(E) dated 15-4-2014, S.O. 1451(E) dated 3-6-2014, S.O.No.3076(E) dated 3-12-2014, S.O. 721(E) dated 5-3-2015, S.O.No.722(E) dated 5-3-2015, S.O.No.3132(E) dated 9-10- 2015, S.O. No 1076 (E) (dated 12-03-2016, S.O. No 1674 (E) dated 03-05-2016, S.O.No.684(E) dated 28.02.2017, S.O.No.1869(E) dated 09.06.2017, S.O.No.3774(E) dated 27.11.2017, S.O.No.1393(E) dated 27th March, 2018, S.O.No.5344(E) dated 12.10.2018, S.O.No. 1043(E) dated 22.02.2019, S.O.No.1860(E) dated 27th May, 2019, S.O.No.2099(E) dated 19th June, 2019, S.O.No.4352(E) dated 04th December, 2019 and S.O.No.1451(E) dated 8th May, 2020, S.O. No. 1165(E) dated 10.03.2021, S.O. No. 2673(E) dated 02.07.2021andS.O.No.3258(E) dated 11th, Aug, 2021.